संख्या 20014/01/2023-रा.भा (का-2)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

******

बी विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 14/12/2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45वीं बैठक के तीन चरणों का कार्यवृत।

संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45वीं बैठक के तीनों चरणों का आयोजन दिनांक 16 से 18 अक्टूबर, 2023 को राजभाषा विभाग, नई दिल्ली में किया गया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों के कार्यों की समीक्षा करना है। कॉलिक की 45वीं बैठक में सभी मंत्रालयों/विभागों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, इस हेतु सभी का अभिनन्दन।

2. इस समीक्षा बैठक में सभी मंत्रालय/विभागों द्वारा प्रेषित तिमाही प्रगति रिपोर्ट में दी गई सूचनाओं की समीक्षा की गई, कमियों को चिन्हित किया गया, लक्ष्यों में आई कमियों पर चर्चा की गई तथा सुधार हेतु सभी के साथ विचारों को साझा किया गया। बैठक के कार्यवृत्त को राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.nic.in के 'अद्यतन सूचनाएं' लिंक पर देखा जा सकता है।

3. प्रत्येक मंत्रालय/विभाग की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में पाई गई कमियां, राजभाषा हिंदी के उत्तरोत्तर कार्यान्वयन हेतु दिशा-निर्देश एवं मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए गए आश्वासनों पर 01 माह के अंदर अनुवर्ती कार्रवाई कर राजभाषा विभाग को सूचित करें।

(अनिल कुमार)
उप सचिव, भारत सरकार
दूरभाषा: 23438143

संलग्न: यथोपरि

प्रति:

1. केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति से संबंधित मंत्रालय/विभाग के संयुक्त सचिव (प्रशा) (सूची सलंग्न)।
2. राजभाषा विभाग के सभी अधिकारी अनुभाग/डेस्क।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव।
2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग के प्रधान निजी सचिव।

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग(का.2)
***

केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45वीं बैठक का कार्यवृत्त

राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (कॉलिक) की बैठक का आयोजन किया जाता है। इस कड़ी में वर्ष 2022-23 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कॉलिक की 45वीं बैठक का आयोजन किया गया।

2. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग डॉ. मीनाक्षी जौली की अध्यक्षता में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45वीं बैठक 16, 17 तथा 18 अक्टूबर, 2023 को पूर्वाह्न 10.30-1.00 बजे सम्मेलन कक्ष, प्रथम तल, एनडीसीसी-2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली में आयोजित की गई।

3. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विस्तृत चर्चा के लिए उक्त बैठक में 26, 26 तथा 27 मंत्रालयों/विभागों (**सूची अनुलग्नक 'क' पर**) के संयुक्त सचिवों एवं वरिष्ठ राजभाषा अधिकारियों को आमंत्रित किया गया। उपस्थित अधिकारियों/कार्मिकों की सूची **अनुलग्नक 'ख'** पर अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

4. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने बैठक में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष में एक बैठक आयोजित की जाती है। इससे पहले सचिव, राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में इस प्रकार की 44 बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। **संयुक्त सचिव महोदया ने पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पधारे अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद किया तथा सभी अधिकारियों से भविष्य में भी सम्मेलनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।** आगे उन्होंने यह भी अवगत करवाया कि राजभाषा हिंदी के प्रयोग की जो स्थिति दिल्ली स्थित मंत्रालयों/विभागों में होनी चाहिए, उतनी अभी नहीं हुई है। इस संबंध में संयुक्त सचिव महोदया ने अनुच्छेद 343 तथा 351 का विशेष रूप से उल्लेख करते हुए कहा कि हम सबको इस दिशा में मिलकर सार्थक प्रयास करने हैं।

अनिल कुमार

(I) साथ ही संयुक्त सचिव महोदया ने मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को सूचित किया कि आपने जो आंकड़े एवं तथ्य राजभाषा विभाग को भेजे हैं, हम आगे उसकी समीक्षा करेंगे। साथ ही प्रतिभागियों से विशेष आग्रह किया कि मंत्रालयों/विभागों में सीडैक द्वारा विकसित कंठस्थ 2.0 का ज्यादा से ज्यादा उपयोग सुनिश्चित किया जाये। कंठस्थ में अब न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन(NMT) की विशेष सुविधा उपलब्ध करवाई गयी है तथा इसका मोबाइल संस्करण भी जल्द ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। इसके उपयोग से अधिक सटीकता एवं त्वरित गति से ज्यादा से ज्यादा अनुवाद किया जा सकता है। हमें वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता और कनिष्ठ अधिकारियों का निरंतर मार्गदर्शन करना है ताकि वह अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित हो सकें और कार्यालयी कामकाज हिंदी भाषा में निष्पादित कर सकें। आज की बैठक सार्थक, सद्भावपूर्ण एवं अच्छी हो, ऐसी हमारी कामना है।

5. अवगत कराना है कि केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने, सरकारी प्रयोजनों के लिए राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की मॉनिटरिंग करने तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने हेतु उपाय सुझाने के उद्देश्य से किया गया है। हमारे माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर बहुत बल दिया है। इस दिशा में यह बैठक मंत्रालयों/विभागों द्वारा सरकारी काम-काज में संघ की राजभाषा नीति के प्रयोग की समीक्षा करने हेतु एक महत्वपूर्ण मंच है। इस बैठक में सभी मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों के साथ सीधा संवाद करने का हमें अवसर मिलता है और वे हिंदी के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श कर सकते हैं, साथ ही अपने सुझाव भी दे सकते हैं। इस बैठक में मंत्रालयों की वेबसाइट के द्विभाषीकरण की स्थिति में पाई गई मुख्य कमियां भी आपके सामने रखी जाएंगी। जैसा कि आपको विदित है कि संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई करें। इस अवसर पर संयुक्त सचिव ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध किया कि राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन अपने कार्यालयों में सुनिश्चित करवाएं और राजभाषा संबंधी सभी कार्यकलापों में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने की ओर विशेष ध्यान दें।

6. तत्पश्चात संयुक्त सचिव महोदया के निदेश पर राजभाषा विभाग के अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) ने पॉवर प्वांइट प्रेजेंटेशन (पीपीटी) के माध्यम से सभी प्रतिभागियों से उनके मंत्रालयों/विभागों से की जा रही अपेक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने आगे बताया कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले 14 दस्तावेज अनिवार्यत: द्विभाषी

जारी किए जाने अपेक्षित हैं। साथ ही राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर अनिवार्यत: हिंदी में दिए जाने अपेक्षित हैं, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

(I) उन्होंने इस बात पर सभी प्रतिभागियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए बताया कि यदि कोई कार्यालय धारा 3(3) का अनुपालन नहीं करता है तो वह राजभाषा विभाग की ओर से दिए जाने वाले राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय स्तर के पुरस्कारों के मूल्यांकन से पूर्णत: वंचित हो जाता है। साथ ही यदि कार्यालय राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं करता है तो पुरस्कारों के मूल्यांकन के समय प्रणाली द्वारा उनके 10 अंक काट लिए जाते हैं जिससे वह पुरस्कारों की श्रेणी से लगभग बाहर हो जाता है अथवा दूसरे कार्यालयों के मुकाबले, राजभाषा पुरस्कार प्राप्त करने में उनका स्थान नीचे हो जाता है।

(II) अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन) ने आगे यह भी अनुरोध किया कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयास किया जाना चाहिए। अंग्रेजी वेबसाइट और हिंदी वेबसाइट का साथ-साथ अद्यतन किया जाना अनिवार्य है। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मूल रुप से हिंदी में कार्य को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अभ्यास आधारित कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जाए। प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारियों/कार्मिकों का यथाशीघ्र प्रशिक्षण आवश्यक है क्योंकि हिंदी शिक्षण योजना द्वारा 2025 तक सभी को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। जिन्हें इन प्रशिक्षणों में नामित किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण हेतु कार्यमुक्त भी करें। जिन मंत्रालयों/विभागों में हिंदी सलाहकार समिति गठित नहीं की गयी है, वहां इसका शीघ्र गठन/पुनर्गठन आवश्यक है ताकि इसकी नियमित बैठकें आयोजित की जा सकें। सभी कंप्यूटरों में द्विभाषी रूप से काम करने की सुविधा उपलब्ध हो ताकि कार्मिकों को हिंदी में काम करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। कंप्यूटरों में इनबिल्ट द्विभाषी सुविधा पहले ही से उपलब्ध है, केवल उन्हें यूनिकोड इनेबल करने की आवश्यकता है। अपने-अपने कार्यालयों में प्रत्येक तिमाही में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों का नियमित आयोजन किया जाना चाहिए।

(III) एक जरूरी बात से भी उन्होंने सभी को अवगत कराया कि ऑनलाइन तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा अर्थात एक महीने के अंदर प्रमाण पत्र सहित, भेजना सुनिश्चित करवाएं क्योंकि राजभाषा पुरस्कारों के मूल्यांकन के समय प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के अंदर रिपोर्ट भेजे जाने पर 6 अंक, 60 दिनों के अंदर भेजे जाने पर 3 अंक दिए जाते हैं। 60 दिनों के बाद भेजे जाने पर 6 अंक कट जाते हैं।

(IV) वेबसाइट बाई-डिफाल्ट हिंदी में खुले इस बात पर विशेष बल देते हुए अनुसंधान अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यदि बाई-डिफाल्ट हिंदी में खुलने में समस्या हो तो वेबसाइट खुलते समय भाषा का विकल्प दिया जाये ताकि प्रयोक्ता वहीं से हिंदी या अंग्रेजी का विकल्प चुन सके।

अनिल कुमार

बैठक से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु:

1. सभी मंत्रालय/विभाग अपनी-अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय से भरें। प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 30 दिनों के भीतर रिपोर्ट तथा अपने विभागाध्यक्ष से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र (मुहर सहित) भरवाना सुनिश्चित करें।
2. तिमाही प्रगति रिपोर्ट भरने में आ रही किसी भी समस्या के लिए विभाग के एनआईसी (NIC) से संपर्क करें।
3. रिपोर्ट में धारा 3(3) एवं नियम-5 का उल्लंघन न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए।
4. सभी अधिकारी अपने विभागों/मंत्रालयों में कंठस्थ 2.0 का अधिक से अधिक उपयोग सुनिश्चित करवाएं।
5. पुणे में आयोजित तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से पधारे अधिकारियों का हार्दिक धन्यवाद इस अनुरोध के साथ कि, ऐसे सम्मेलनों में भविष्य में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
6. हिंदी सलाहकार समिति का गठन/पुनर्गठन करवाएं। गठन/पुनर्गठन के उपरांत वर्ष में दो बैठकें करवाना सुनिश्चित करवाएं।
7. वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी करवाएं। अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में हमेशा साथ-साथ अपडेट करवाना सुनिश्चित करवाएं।
8. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मूल कार्य हिंदी में हो।
9. सभी कंप्यूटरों में इनबिल्ट द्विभाषी सुविधा, यूनिकोड को इनेबल करवाएं।
10. भविष्य में आयोजित होने वाली कॉलिक की बैठकों में संयुक्त सचिव व समकक्ष अधिकारी अवश्य उपस्थित हों।

मंत्रालय/विभाग-वार विस्तृत समीक्षा अगले पृष्ठ से देखा जा सकता है :-

मंत्रालय/विभाग-वार समीक्षा

6.1 अंतरिक्ष विभाग

अंतरिक्ष विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया। अंतरिक्ष विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। उनके यहाँ 2 कार्मिक 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं।

अंतरिक्ष विभाग की प्रतिनिधि ने भविष्य में प्रतिशतता बढ़ाने के हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने अंतरिक्ष विभाग के प्रयासों की सराहना की तथा उनसे अनुरोध किया की अगर आपके पास बजट की उपलब्धता है तो सबके लिए कार्यशाला का आयोजन कराएँ जिससे कि सभी लोग आपके यहाँ आकर आपके प्रयासों को देख सकें। प्रतिनिधि ने इस संबंध में सूचित किया कि अंतरिक्ष विभाग इस योजना कर रहा है तथा तिथि का निर्धारण होते ही सूचित किया जाएगा। विभाग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दी गई सूचना आंशिक रूप में हिंदी में उपलब्ध होने के बारे में विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इसे पूर्णत: द्विभाषी करने का कार्य किया जा रहा है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इस दिशा में प्रयास किये जा रहे हैं।

6.2 अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। इस मंत्रालय में हिंदी में काम करने वाले आशुलिपिकों की प्रतिशतता 52.94 है। मंत्रालय में 16 उच्च अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी 100 प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक भी कर ली गयी है।

प्रतिनिधि ने बताया कि पिछले वर्ष से काफी प्रगति दर्ज की गयी है तथा इसमें उच्च अधिकारी भी अपना काफी योगदान देते हैं। मंत्रालय की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दी गई सूचना आंशिक रूप में हिंदी में उपलब्ध होने के बारे में विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि इसे पूर्णतः द्विभाषी करने का कार्य किया जा रहा है तथा इस पर कार्य के पश्चात आपको रिपोर्ट सौंप देंगे।

मनोज कुमार

6.3 आयुष मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है परंतु राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में 19 अधिकारियों में से कोई भी अधिकारी हिंदी में कार्य नहीं करते हैं। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने भविष्य में अच्छे परिणाम देने का आश्वासन दिया और बताया कि पिछले वर्ष से काफी प्रगति हुई है तथा इस स्थिति को जारी रखने के पूरे प्रयास किये जायेंगे। उन्होंने टंककों की संख्या की स्थिति को चेक करने तथा अधिकारियों को भी ज्यादा से ज्यादा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया। मंत्रालय की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर अधिकांश लिंक की सूचना हिंदी में नहीं दी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके मंत्रालय की वेबसाइट पर द्विभाषी सामग्री को अपडेट कर लिया जायेगा। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है तथा बैठक भी आयोजित कर ली गयी है।

6.4 आर्थिक कार्य विभाग

आर्थिक कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि विभाग द्वारा धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है परंतु राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन हुआ है। हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है।

इस पर विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनकी पूरी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में किये जाएँ लेकिन चूँकि उनके विभाग में ज्यादातर काम अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ होता है इसलिए उनके यहां हिंदी पत्राचार का प्रतिशत कम है। उन्होंने अवगत कराया कि पूरी कोशिश की जाएगी की इस तरह के जवाब द्विभाषी दिए जाएँ। प्रतिनिधि ने बताया कि कंठस्थ तथा ई-फाइलिंग पर भी उनके यहाँ कार्यशाला आयोजित की गयी है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में उन्होंने सूचित किया कि G-20 की बैठक में व्यस्तता की वजह से बैठक नहीं हो सकी है तथा जितनी जल्दी हो सके इसकी बैठक आयोजित करने के प्रयास किये जा रहे हैं। वेबसाइट पर सामग्री द्विभाषी न होने के संबंध में प्रतिनिधि ने बताया की साइबर सुरक्षा पर किये जा रहे कार्य की वजह से वेबसाइट अद्यतित करने के कार्य में बाधा आई है इसे जल्द ही ठीक कर लिया जायेगा। प्रतिनिधि ने अपने विभाग में कार्यों की अधिकता का हवाला देते हुए प्रतिनियुक्त अधिकारी के कार्य ग्रहण के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त की जिसके संबंध में संयुक्त सचिव महोदया द्वारा उन्हें सूचित किया गया कि जल्द ही वे पदभार ग्रहण कर लेंगे।

6.5 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है । अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। संयुक्त सचिव महोदया ने कंठस्थ पर अधिकतम कार्य किये जाने के निर्देश दिए तथा सभी अधिकारियों को अपने स्टाफ को इस संबंध में प्रोत्साहित करने के निदेश भी दिए।

इस संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वे खुद भी कंठस्थ पर कार्य करती हैं तथा इस संबंध में पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट द्विभाषी न होने पर उन्होंने बताया कि वेबसाइट को द्विभाषी करने के लिए NIC के साथ बैठक की गयी है तथा इसको अद्यतित करने का काम चल रहा है। वेबसाइट को द्विभाषी करने के कार्य हेतु दो अनुवादक भी लगाये गए हैं।

6.6 इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तथा भविष्य में इसमें सुधार देखने को मिलेगा । इसके लिए अनुभागों में कई प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। संयुक्त सचिव महोदया ने कहा कि आप कार्यशाला कराएँ तथा बताएं कि आपने कौन-कौन से टूल विकसित किये हैं। इसका पता हमें भी चलना चाहिए ताकि डुप्लीकेशन ना हो। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा चुका है परन्तु बैठक अभी नहीं हुई है। इस पर मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा फ़ाइल मंत्री महोदय के पास अनुमोदन हेतु भेजी गयी है । तिथि मिलते ही बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा।

6.7 इस्पात मंत्रालय

समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा धारा 3(3) एवं नियम 5 का अनुपालन किया गया है । 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालाँकि, अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शत-प्रतिशत है। हिंदी में काम करने

वाले आशुलिपिकों एवं टंकको की प्रतिशतता भी शत-प्रतिशत है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हम लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने बताया की इसे द्विभाषी करने के लिए लगातार बैठक की जा रही है तथा पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि बैठक के आयोजन हेतु प्रयास जारी हैं तथा दिसंबर तक बैठक आयोजित करा ली जाएगी।

6.8 उच्चतर शिक्षा विभाग

उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा नियम (5) एवं धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्य से काफी कम तथा निराशाजनक है। विभाग के 82 प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में बताया की बेशक आंकड़े लक्ष्य से काफी कम हैं लेकिन प्रतिशतता को बढ़ाने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि पूर्व में उनके विभाग द्वारा त्रुटिवश सही आंकड़े नहीं दिए गए थे जिसे अब सुधार लिया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि सलाहकार समिति के पुनर्गठन हेतु प्रयास किये जा रहे हैं तथा इसकी कुछ औपचारिकताएँ बाकी हैं तथा इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। अनुमोदन के पश्चात जल्द ही बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा। वेबसाइट को द्विभाषी करने के लिए सभी सम्बंधित अनुभागों को पत्र लिखे गए हैं।

6.9 उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 की रिपोर्टें नहीं भेजी गयी हैं। वेबसाइट पर विजन और मिशन''संगठन चार्ट' एवं 'नागरिक चार्टर' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है लेकिन बैठक होनी शेष है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि मंत्रालय की ओर से तिमाही रिपोर्ट के आंकड़े भेजे जाने में कुछ त्रुटि हुई है जिसकी जांच कर उसमें सुधार किया जायेगा। उन्होंने हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

के संबंध में सूचित किया कि इससे सम्बंधित फ़ाइल मंत्री जी के पास है तथा उनके अनुमोदन के पश्चात शीघ्र ही बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा।

6.10 उपभोक्ता मामले विभाग

इस विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है लेकिन 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है । फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक भी आयोजित की गयी है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना द्विभाषी नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके विभाग में अधिकतम काम हिंदी में होता है। इसे और बेहतर करने का प्रयास जारी है चूँकि यह एक तकनीकी संस्था है अतः कुछ समस्याएँ सामने आती हैं उन्हें भी ठीक कर लिया जायेगा ।

6.11 उर्वरक विभाग

उर्वरक विभाग द्वारा नियम (5) एवं धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जब कि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है।

इस संबंध में विभाग की प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में बताया कि प्रतिशतता को बढ़ाने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं तथा 'कंठस्थ' पर कार्य करने का भी आश्वासन दिया। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि पूर्व में उनके विभाग द्वारा त्रुटिवश सही आंकड़े नहीं दिए दिए गए थे जिसमें अब सुधार कर लिया गया है। सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक आयोजित करवाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

6.12 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है ।

इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं तथा अगली बैठक में स्थिति और बेहतर हो इसके पूरे प्रयास किये जायेंगे। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कतिपय प्रमुख लिंक में दी गई सूचना द्विभाषी नहीं है। प्रतिनिधि ने बताया कि इस संबंध में NIC को पत्र लिख कर वेबसाइट को बाई डिफ़ॉल्ट हिंदी में करने को कहा जायेगा तथा अन्य कमियों को चेक कर सही कर लिया जायेगा। उनके यहाँ 59 अनुभाग हैं तथा सबसे अपनी सामग्री द्विभाषी करने को कहा गया है और इस कार्य को आने वाले कुछ दिनों में कर लिया जायेगा। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनका विभाग लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रयासरत है तथा हिंदी सलाहकार समिति की बैठक 27 अक्टूबर को श्रीनगर में होनी प्रस्तावित है।

6.13 औषध विभाग

औषध विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हिंदी में अधिकारियों के ज्ञान की स्थिति शून्य दिखाई गयी है जिसे जांचने की जरूरत है। हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है तथा इसकी बैठकें आयोजित की गयी हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहाँ तकनीकी प्रकृति का कार्य होने के कारण अधिकतर कार्य अंग्रेजी में ही किये जा रहे हैं जिसे सुधारने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने अवगत कराया कि 'कंठस्थ' का अधिकतम प्रयोग किये जाने का प्रयास किया जा रहा है तथा इसकी कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने सूचित किया की उनका विभाग ई-पत्रिका भी प्रकाशित कर रहा है। 'निविदा' एवं 'भर्ती लिंक' की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। इस पर विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि जो भी कमियां है उसकी जांच करने के पश्चात उसे जल्द से जल्द सुधार लिया जायेगा।

6.14 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। टंककों की स्थिति शून्य दिखाई गयी है जिसे जांचने की जरूरत है। इस संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहाँ प्रतिशतता बढ़ाने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। उनके यहाँ कोई भी टंकक नहीं है।

अनिल कुमार

विभाग की वेबसाइट पर 'निविदा' एवं 'भर्ती' लिंक तथा अन्य बिन्दुओं की सूचना हिंदी में न होने के संबंध में प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वेबसाइट को द्विभाषी बनाने का कार्य किया जा रहा है जो कि अनुवादकों के पैनल द्वारा करवाया जा रहा है। समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक नहीं की गयी है। इस संबंध में प्रतिनिधि ने बताया कि उनके विभाग तथा **कृषि एवं किसान कल्याण विभाग** की संयुक्त समिति है अतः बैठक के लिए अनुमोदन हेतु फ़ाइल मंत्री जी के पास भेजी गयी है उनसे समय प्राप्त होते ही बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा।

6.15 कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता लक्ष्य से काफी कम है, जबकि लगभग शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। टंककों की स्थिति शून्य दिखाई गयी है जिसे जांचने की जरुरत है। विभाग की वेबसाइट पर 'सूचना का अधिकार' एवं 'विजन और मिशन' 'निविदा' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में बताया कि प्रतिशतता लक्ष्य से कम है और उसे बढ़ाये जाने के भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए सभी अनुभागों का निरीक्षण कर उन्हें निर्देशित किया गया है तथा सभी को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि विभाग की हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। विभाग की वेबसाइट को द्विभाषी बनाने का भी काम चल रहा है और जल्द ही इसे पूर्णत: द्विभाषी और अद्यतित कर लिया जाएगा।

6.16 कारपोरेट कार्य मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में पत्राचार की स्थिति संतोषजनक है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है। मंत्रालय की वेबसाइट में 'सूचना का अधिकार', 'निविदा', 'भर्ती' लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रतिशतता को बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो चुका है तथा एक बैठक का आयोजन जून माह में कर लिया गया है। उन्होंने अवगत कराया कि वेबसाइट 80 प्रतिशत अपडेट है तथा शेष को भी शीघ्र ही अपडेट कर वेबसाइट को द्विभाषी कर लिया जायेगा। वेबसाइट में अपेक्षित सुधार हेतु बैठक भी आयोजित की गयी है।

अनिल कुमार

6.17 कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है तथा बैठक भी आयोजित की गयी है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

इस पर विभाग की प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि प्रतिशतता बढ़ाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है तथा 'कंठस्थ' इत्यादि टूल्स के माध्यम से इसे और बढ़ाने पर जोर दिया जायेगा। वेबसाइट के संबंध में उन्होंने बताया कि विभाग की वेबसाइट को पूरी तरह से द्विभाषी करने के लिए सम्बंधित प्रभाग तथा NIC से बात की जा रही है।

6.18 कोयला मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है । मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

इस संबंध में मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि हम प्रतिशतता बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं तथा पिछले वर्ष से प्रगति हुई है और लक्ष्य के निकट आने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर दिया गया है लेकिन बैठक नहीं हो पाई है। इस संबंध में प्रतिनिधि ने सूचित किया कि बैठक हेतु तिथि निर्धारित करने के लिए फ़ाइल मंत्री जी के पास भेजी गयी है तथा उनसे समय प्राप्त होते ही बैठक आयोजित कर ली जाएगी ।

6.19 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में पत्राचार की स्थिति संतोषजनक है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हिंदी ज्ञान की प्रतिशतता शून्य दर्शाई गयी है। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो चुका है। विभाग की वेबसाइट में सूचना का अधिकार, निविदा, भर्ती लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

अनिल कुमार

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से काफी प्रगति हुई है। उन्होंने बताया कि मैं खुद भी ज्यादा से ज्यादा हिंदी में ही बोलने का प्रयास करता हूँ साथ ही प्रतिशतता बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि हिंदी ज्ञान वाले बिंदु की रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हुई है इसमें सुधार किया जायेगा। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की जा चुकी है। वेबसाइट को पुनः बनाया जा रहा है तथा इसकी कमियों को दूर किया जा रहा है साथ ही शीघ्र ही अपडेट कर वेबसाइट को द्विभाषी कर लिया जायेगा।

6.20 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है तथा इसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा काफी कमी भी आई है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट में सूचना का अधिकार, निविदा, भर्ती लिंक, संगठन चार्टर में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में बताया कि शायद रिपोर्टिंग कम हुई है अन्यथा किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं होता, इसकी जांच कर इसे सुधार लिया जायेगा। साथ ही उनके मंत्रालय में तकनीकी काम काफी होता है जिसके कारण प्रतिशत घट जाता है। इस पर उन्हें सुझाव दिया गया कि शब्दों का अनुवाद उपलब्ध न होने की स्थिति में उन्हें देवनागरी में ही लिखा जा सकता है। उन्होंने अवगत कराया कि उनके यहाँ 'कंठस्थ' की कार्यशाला आयोजित की गयी है तथा तिमाही बैठकों में भी अधिकारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने बताया कि वेबसाइट को अपडेट करने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। उनके मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के लिए तिथि पर अनुमोदन लिया जा रहा है।

6.21 खान मंत्रालय

खान मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। खान मंत्रालय द्वारा 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जब कि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। हिंदी में कार्य करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य दर्शाई गयी है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है लेकिन बैठक नहीं हुई। मंत्रालय की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

मंत्रालय से आए प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पत्राचार के लक्ष्य हासिल करने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं तथा इसके लिए सभी सम्बंधित अनुभागों को निर्देश दिए जा रहे हैं। हमारे यहाँ टंकक का कोई पद नहीं है। उन्होंने वेबसाइट के संबंध में अवगत कराया कि नई वेबसाइट 3-4 महीने पहले ही तैयार की गयी है अतः इस पर मौजूद सामग्री की समीक्षा की जा रही है और शीघ्र ही इसे द्विभाषी कर लिया जाएगा। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में उन्होंने सूचित किया कि इसकी बैठक से सम्बंधित फ़ाइल मंत्री जी के पास है तथा उनके अनुमोदन के पश्चात शीघ्र ही बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा।

6.22 ग्रामीण विकास मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का पूर्ण अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया गया है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जब कि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय की वेबसाइट के 'कौन क्या है', 'संगठन चार्ट', 'सूचना का अधिकार' इत्यादि बिन्दुओं की सूचना हिंदी में नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि टिप्पण कम होने पर संयुक्त सचिव ने भी नाराजगी जताई है और इसकी प्रतिशतता बढ़ाने हेतु हरसंभव प्रयास किये जा रहे हैं। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक भी सितम्बर माह में हो चुकी है। वेबसाइट संबंध में प्रतिनिधि ने सूचित किया कि मंत्रालय की वेबसाइट का नवीनीकरण किया जा रहा है अतः कुछ कार्य बाकी है जिसे जल्द से जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है।

6.23 भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय

कार्यालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। कार्यालय का 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत काफी बेहतर है साथ ही इसमें विगत वर्ष कि अपेक्षा बढ़ोत्तरी हुई है और यह लक्ष्य की ओर अग्रसर है तथा 'ग' क्षेत्र और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना द्विभाषी है तथा इसमें भाषा का विकल्प दिया जा सकता है।

इस संबंध में प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए कहा कि हम इस कार्य को आगे भी बेहतर करने के लिए प्रयास करते रहेंगे तथा उन्होंने सूचित किया कि उनके कार्यालय में हिंदी सलाहकार

समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी बनाने तथा भाषा का विकल्प दिये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

6.24 जनजातीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हालांकि, मंत्रालय में 100 प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है लेकिन बैठक नहीं हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट पर दी गई 'कौन क्या है', 'संगठन चार्ट', 'सूचना का अधिकार', 'निविदा', 'भर्ती' लिंक की सूचना द्विभाषी नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी देते हुए कहा की आंकड़े पिछले वर्ष की अपेक्षा सुधरे हैं तथा अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। उन्होंने वेबसाइट के संबंध में बताया कि वेबसाइट को द्विभाषी बनाने का कार्य किया जा रहा है तथा इसे जल्द ही ठीक कर लिया जायेगा। उन्होंने सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के लिए मंत्री जी से समय लिया जा रहा है तथा उनके अनुमोदन के पश्चात शीघ्र ही बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा।

6.25 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता भी लक्ष्य से बहुत कम है। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। विभाग की वेबसाइट पर दी गई बहुत सी सूचना हिंदी में नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि इन सभी कमियों पर बैठक कर समीक्षा के उपरांत उन्हें दूर किया जायेगा। उन्होंने वेबसाइट को जल्द अद्यतन करने तथा बाई डिफाल्ट हिंदी में वेबसाइट खुलने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के लिए मंत्री जी से समय लिया जा रहा है तथा उनसे समय प्राप्त होते ही बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा।

अनिल कुमार

6.26 डाक विभाग

डाक विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार की प्रतिशतता निर्धारित लक्ष्य के करीब है जबकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। डाक विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है लेकिन बैठक अभी नहीं हुई है। विभाग की वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर दी गयी 'संगठन चार्ट', 'सूचना का अधिकार', 'निविदा', 'भर्ती' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं कराई गई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हमने काफी सुधार किया है तथा इसे आगे भी जारी रखेंगे । उन्होंने कहा कि वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी बनाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के लिए मंत्री जी से समय लिया जा रहा है तथा उनके अनुमोदन के पश्चात शीघ्र ही बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा।

6.27 मंत्रिमंडल सचिवालय

समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार हेतु निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा यह अपने लक्ष्य से काफी पीछे है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है जबकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान की स्थिति 100 प्रतिशत है। कार्यालय में टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गयी है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान नहीं है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ टैब्स हिंदी में नहीं है।

सचिवालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रतिशत को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि हमारे यहाँ आदेश काफी बड़े होने के कारण अपलोड करने में समस्या आ रही है जिसे जल्दी ही दूर कर लिया जायेगा तथा इसे द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि उनके यहाँ विभिन्न अनुभागों के बीच हिंदी के प्रयोग को लेकर सालाना आधार पर एक प्रतियोगिता रखी जाती है जिसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अनुभाग को पुरस्कृत किया जाता है। वहीं कार्मिकों के बच्चों के लिए भी प्रतियोगिता आयोजित कर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। संयुक्त सचिव महोदया ने प्रतिनिधि से उनके यहाँ किये जा रहे प्रयासों का एक संक्षिप्त ब्यौरा देने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके मंत्रालय को दो बार पुरस्कार हासिल हो चुका है। उनके यहाँ दो कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। उन्होंने कहा कि वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी बनाने का

अनिल कुमार

कार्य चल रहा है हालाँकि कुछ दस्तावेजों के केवल अंग्रेजी में होने कि बाध्यता की वजह से इसमें कुछ समस्या आ रही है इसे दूर कर लिया जायेगा ।

6.28 पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है वहीं 'ग' क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग में हिंदी में कार्य करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य दिखाई गई है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है हालाँकि बैठक होनी शेष है। मंत्रालय की वेबसाइट के कुछ लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हिंदी के कार्यान्वयन का कार्य अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है अतः लक्ष्य को प्राप्त करने तथा मूल कार्य हिंदी में करने के सतत प्रयास किये जाते हैं तथा इसे आगे और बेहतर किया जायेगा। कार्यशाला का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता है साथ ही एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है। उन्होंने एक टूल के तौर पर कंठस्थ को काफी उपयोगी बताया। विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि उनके विभाग में शब्दकोश भी तैयार करवाया जा रहा है तथा एक ई-पुस्तकालय भी है जिसे व्हाट्सअप के द्वारा भी उपयोग किया जा सकता है। उन्होने सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है और बैठक नवम्बर में प्रस्तावित है। विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वेबसाइट को पूर्ण रूप से द्विभाषी बनाना भी एक सतत प्रक्रिया है जिसे जारी रखा जाएगा। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विभाग में उप निदेशक, राजभाषा का पद काफी दिनों से रिक्त होने की वजह से समस्या हो रही है जिस पर उन्हें सूचित किया गया कि आप अपने विभाग में एक परामर्शदाता की नियुक्ति कर सकते हैं।

6.29 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

विभाग की समीक्षा में यह पाया गया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का एवं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है हालाँकि इसमें विगत वर्ष से वृद्धि हुई है। विभाग में हिंदी में कार्य करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ टैब्स हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं।

अनिल कुमार

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि प्रतिशतता में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि हुई है तथा इसमें और सुधार लाया जाएगा। वेबसाइट को पूर्ण रूप से द्विभाषी बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है इसके लिए पत्र जारी किये गए हैं और इस कार्य को शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने विभाग में हिंदी के रिक्त पदों को भरे जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि विभाग में कंठस्थ पर भी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है तथा इसकी अगली बैठक भी जनवरी-फरवरी तक आयोजित करा लिए जाने का आश्वासन दिया।

6.30 न्याय विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का प्रतिशत बहुत कम पाया गया जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है हालाँकि बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ टैब्स जैसे निविदा' एवं 'भर्ती' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में सूचित किया कि हम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं तथा इसके परिणाम भी वृद्धि के रूप में देखे जा सकते हैं और इसे आगे भी जारी रखा जायेगा। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पदों के रिक्त होने के कारण कार्यान्वयन में समस्या होती है। उन्होंने अवगत कराया कि वेबसाइट को पूर्ण रूप से द्विभाषी बनाने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं और इसमें भाषा का विकल्प भी दिया गया है तथा इसमें और सुधार किया जायेगा। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में प्रतिनिधि ने बताया की उनके सम्बंधित मंत्रालय के अंतर्गत 3 विभाग आते हैं तथा समिति में न्याय विभाग का नाम नहीं है।

6.31 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है वहीं 'ग' क्षेत्र हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग में हिंदी में कार्य करने वाले टंककों की प्रतिशतता शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा अंतिम बैठक जनवरी में की गयी है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट की समीक्षा करते यह पाया गया कि कुछ टैब्स जैसे 'सूचना का अधिकार' 'विजन-मिशन' 'निविदा' एवं 'नागरिक चार्टर' लिंक की सूचना अंग्रेजी में है।

अनिल कुमार

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में सूचित किया कि हम अक्षय उर्जा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते हैं तथा यह एक तकनीकी मंत्रालय है फिर भी हम हिंदी में मूल कार्य करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि वेबसाइट को अभी-अभी लांच किया गया है तथा इसे पूर्ण रूप से द्विभाषी बनाने का प्रयास जारी है और इसमें केवल द्विभाषी सामग्री ही अपलोड करने का लक्ष्य है। प्रतिनिधि ने बताया कि हम 'कंठस्थ' के नए वर्जन को लेकर उत्साहित हैं तथा इसके प्रयोग को सुनिश्चित करेंगे हालाँकि इसका प्रशिक्षण अपेक्षित है। इसके संबंध में संयुक्त सचिव महोदया ने उन्हें एक पत्र विभाग में भेजने को कहा। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति के गठन के संबंध में प्रतिनिधि ने बताया कि समिति का पुनर्गठन हो गया है तथा जल्द ही दूसरी बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा।

6.32 नागर विमानन मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार बेहतर स्थिति में है, इनमें विगत वर्ष से वृद्धि हुई है तथा 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है और बैठक भी आयोजित करा ली गयी है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कतिपय टैब्स हिंदी में नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हम ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करने की कोशिश कर रहे हैं और लक्ष्य प्राप्ति का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि उनका मंत्रालय 'कंठस्थ' का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग सुनिश्चित करेगा। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि हमारे यहाँ आदेश काफी बड़े होने के कारण अपलोड करने में समस्या आ रही है जिसे जल्दी ही दूर कर लिया जायेगा तथा इसे द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है । उन्होंने अवगत कराया कि उनके मंत्रालय ने अपने कार्यकलापों से सम्बंधित हिंदी शब्दावली बनाई है तथा उनके यहाँ बैठकों के कार्यवृत्त भी द्विभाषी तैयार किये जा रहे हैं वहीं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 90 मिनट का हिंदी से जुड़ा एक कार्यक्रम जरूर रखा जाता है। प्रतिनिधि ने मंत्रालय में पदों के रिक्त होने की सूचना भी दी। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है तथा एक बैठक अगस्त, 2023 में आयोजित करा ली गयी है।

6.33 निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है वहीं 'ग' क्षेत्र में पत्राचार को शून्य दर्शाया गया है। विभाग

द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता लक्ष्य के करीब है। अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान का प्रतिशत 100 है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है। विभाग की वेबसाइट 'सूचना का अधिकार' लिंक की सूचना अंग्रेजी में है। 'संगठन चार्ट' लिंक की सूचना हिंदी व अंग्रेजी में है। 'भर्ती' लिंक की सूचना उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हम स्वतः सारे कार्य हिंदी में करने की कोशिश करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति का पूरा प्रयास किया जा रहा है। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि हम वेबसाइट को सुधार रहे हैं तथा इसे द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ से 'ग' क्षेत्र से कोई पत्राचार नहीं होता अतः 'ग' क्षेत्र से पत्राचार शून्य दर्शाया गया है। उन्होंने 'कंठस्थ' का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता जताई। विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है तथा अगली बैठक जल्द ही आयोजित करा ली जाएगी। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनका विभाग अपने शब्दकोश के शब्दों को राजभाषा विभाग के साथ साझा करेगा ताकि शब्दकोश के शब्द और समृद्ध हो सकें।

6.34 नीति आयोग

आयोग की समीक्षा में पाया गया कि आयोग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। वहीं 'ग' क्षेत्र में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान का प्रतिशत 100 है। आयोग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ टैब्स हिंदी में नहीं है तथा हिंदी भाषा का विकल्प मौजूद नहीं है।

आयोग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जिस प्रकार के आंकड़े दिख रहे हैं, स्थिति उससे अलग है तथा शायद रिपोर्टिंग में चूक हुई है। प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उनके यहाँ हिंदी के प्रयोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए काव्य गोष्ठी, विविध संगोष्ठियों इत्यादि का आयोजन किया जाता है। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि हम वेबसाइट को सुधार रहे हैं तथा इसे द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने 'कंठस्थ' के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव दिया ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है तथा बैठक दिसंबर, 2023 तक आयोजित करा ली जाएगी।

6.35 पंचायती राज मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। लेकिन, 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा पत्राचार लक्ष्य से काफी पीछे है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान का प्रतिशत 100 है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है तथा बैठक का आयोजन करा लिया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कतिपय टैब्स हिंदी में नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रतिशत बढ़ रहा है तथा इसमें और अधिक सुधार किया जायेगा। उन्होंने बताया कि ई-ऑफिस सबसे पहले उनके यहाँ उपयोग किया गया तथा कंठस्थ के ई- ऑफिस पर आने जाने से हिंदी के कार्य में काफी बढ़ोतरी होगी। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके यहाँ हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सर्वश्रेष्ठ लिखावट पुरस्कार अवार्ड, पत्रिका निकालने(पंचवाणी), अंतर अनुभागीय प्रतियोगिता जैसे विविध गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा दूसरी बैठक इस वर्ष दिसंबर तक आयोजित करा ली जाएगी। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि हम वेबसाइट में सुधार कर रहे हैं तथा जल्द ही इसे द्विभाषी कर लिया जायेगा।

6.36 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालाँकि फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कतिपय टैब्स हिंदी में नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पत्राचार के लक्ष्य तथा मूल कार्य हिंदी में करने के पूरे प्रयास किया जा रहा है तथा इसके लिए आतंरिक पत्रों को द्विभाषी किया जा रहा है। इसके लिए हम तेल कंपनियों को पत्र द्विभाषी ही जारी करते हैं हालाँकि ई-मेल विदेशों में भी भेजा जाता है जो अंग्रेजी में होते हैं जिसकी वजह से प्रतिशतता पर प्रभाव पड़ता है। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि हम वेबसाइट में सुधार कर रहे हैं तथा इसे द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने 'कंठस्थ' के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने की बात भी कही। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है तथा बैठक के लिए मंत्री जी के पास फाइल भेजी गयी है तथा उनसे समय प्राप्त होते ही बैठक आयोजित करा ली जाएगी।

6.37 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन नहीं किया गया है वहीं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि पत्राचार लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वहीं 'ग' क्षेत्र में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। कार्यालय में टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गयी है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा बैठक का आयोजन भी किया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ टैब्स हिंदी में नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि अनुपालन किया गया है शायद रिपोर्टिंग में कुछ समस्या होगी। वहीं टंककों की संख्या भी अद्यतित नहीं है तथा अगली तिमाहियों में इसे ठीक कर लिया जायेगा। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने बताया कि हमारी वेबसाइट द्विभाषी है तथा इसकी कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने 'कंठस्थ' के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है तथा बैठक भी समय पर की जाती है।

6.38 पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि पत्राचार लक्ष्य की ओर अग्रसर है। वहीं 'ग' क्षेत्र में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट में 'निविदा' 'भर्ती लिंक, 'अन्य सूचनाएं' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि प्रतिशत बढ़ाने तथा इसमें और सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ अन्य राज्यों से पत्राचार कम होता है अतः प्रतिशतता पर असर पड़ता है। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट में सुधार किया जा रहा है तथा इसे जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने 'कंठस्थ' के लिए एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित करने का आश्वासन दिया। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है तथा बैठक भी जल्द ही आयोजित कर ली जाएगी।

6.39 परमाणु ऊर्जा विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। वहीं 'ग' क्षेत्र में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि अधिकारियों/कर्मचारियों के हिंदी ज्ञान का प्रतिशत 100 है। विभाग में टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गयी है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन कर लिया गया है तथा बैठक का आयोजन मार्च में किया गया है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पत्राचार का प्रतिशत बढ़े तथा इसमें और सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हमारा कार्यालय 'ख' क्षेत्र में स्थित है जिसकी वजह से 'क' क्षेत्र से पत्राचार कम होता है। प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उनके यहाँ हिंदी के प्रयोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी में स्मारिका प्रकाशित की जाती है तथा पदोन्नति में भी हिंदी में कार्य करने का क्रेडिट दिया जाता है। उन्होंने बताया की उनके यहाँ स्थित प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में भी प्रशिक्षण के दौरान हिंदी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उनके यहाँ 26 अनुभागों को चिन्हित कर कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वहीं उनके यहाँ स्थित केन्द्रीय विद्यालयों में राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए वहां के अध्यापकों की सहायता ली जा रही है। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि हम मानते हैं कि वेबसाइट हमारा कमजोर पक्ष है अतः NIC से बात की जा रही है तथा इसे द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने 'कंठस्थ' के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाने तथा ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जाने का सुझाव दिया ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग सुनिश्चित किया जा सके। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है तथा अगली बैठक नवम्बर तक आयोजित करा ली जाएगी।

6.40 पर्यटन मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन नहीं हुआ है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने आंकड़ों में कमी पर अपनी सहमति जताई तथा बताया कि रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पा रही है जो कि एक समस्या है तथा उसमें सुधार किया जा रहा है। प्रतिनिधि ने अवगत कराया

कि आतंरिक समिति की बैठकों में कम लोग आते हैं और इस संबंध में पत्र जारी किये जा रहे हैं। वेबसाइट के संबंध में उन्होंने बताया की वेबसाइट को द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है तथा इसे जल्द ही कर लिया जाएगा। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति काफी देर से गठित हुई है तथा मंत्री जी से समय मिलते ही अगली बैठक इस वर्ष आयोजित करा ली जाएगी। उन्होंने अपने यहाँ संयुक्त निदेशक का पद रिक्त होने की सूचना दी।

6.41 दूरसंचार विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा प्रतिशत लक्ष्य से काफी कम है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता बहुत कम है जबकि लगभग शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। विभाग में उच्च अधिकारियों की संख्या पिछले वर्ष तक 54 थी जो इस वर्ष शून्य दर्शाई गयी है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित नहीं की गयी है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर नवीनतम अपडेट की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया कि आंकड़े संतोषजनक नहीं हैं हालाँकि उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग ठीक से नहीं हो पाने की वजह से वास्तविक आंकड़े परिलक्षित नहीं हुए हैं जिन्हें सुधार लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि तकनीकी विभाग होने की वजह से पत्राचार का प्रतिशत नहीं बढ़ पा रहा है साथ ही, उन्होंने हिंदी पत्राचार एवं अन्य कार्यकलापों में सुधार लाने का भी आश्वासन दिया।

6.42 भूमि संसाधन विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार की स्थिति बेहतर है तथा 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ टैब्स हिंदी में नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले आंकड़ों में सुधार हुआ है तथा हम हिंदी का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और लक्ष्य प्राप्ति का पूरा प्रयास किया जा रहा है। ई-ऑफिस में भी अधिकतर कार्य हिंदी में ही किये जा रहे हैं। विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है तथा एक बैठक आयोजित करा ली गयी है। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इसे द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है।

6.43 बायोटेक्नोलॉजी विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार की स्थिति बेहतर है हालाँकि यह लक्ष्य से कम है तथा 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है । विभाग में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। विभाग में आशुलिपिकों की संख्या शून्य बताई गयी है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है ।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले लक्ष्य प्राप्ति के आंकड़ों में सुधार हुआ है तथा हम इस पर और ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वेबसाइट के संबंध में प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि इसे द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ कोई आशुलिपिक नहीं है। उन्होंने बताया कि उनका विभाग चूँकि तकनीकी है अतः कुछ समस्याएँ सामने आती हैं तथा इसके लिए एक शब्दकोश भी तैयार किया जा रहा है । विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके यहाँ हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया जा चुका है तथा जुलाई में एक बैठक आयोजित करा ली गयी है ।

6.44 भारी उद्योग मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार की स्थिति विगत वर्ष से काफी बेहतर है हालाँकि यह लक्ष्य से कम है तथा 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। विभाग में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा जून में एक बैठक आयोजित हुई है। मंत्रालय की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि आंकड़ों में सुधार लाने के लिए सभी अनुभागों को प्रोत्साहित किया जाता है तथा इसके लिए संगोष्ठी का भी आयोजन किया जाता है। प्रतिनिधि ने बताया कि उनका विभाग चूँकि तकनीकी है अतः इसके लिए 100 तकनीकी शब्दों का एक शब्दकोश तैयार कर वेबसाइट पर डाला गया है। प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनका विभाग अब मंत्रालय हो चुका है अतः अब हर जगह इसका उल्लेख मंत्रालय के रूप में ही किया जाये। उन्होंने सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है और इसकी बैठकें आयोजित की गयी हैं। उन्होंने वेबसाइट से संबंधित कमियों को

अनिल कुमार

शीघ्र ही दूर करने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने अपनी उपलब्धियों के संबंध में बताया कि उनके विभाग ने हिंदी दिवस पर 26 पुस्तकालयों का एक साथ उद्घाटन किया। उन्होंने मंत्रालय में पदों के रिक्त होने की सूचना भी प्रदान की।

संयुक्त सचिव महोदया ने प्रतिनिधि से अपनी उपलब्धियों से सम्बंधित जानकारी राजभाषा विभाग में भिजवाने का अनुरोध किया ताकि इसे सचिव महोदया के समक्ष रखा जा सके।

6.45 संस्कृति मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा अगस्त, 2022 में एक बैठक आयोजित की गयी है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हम हिंदी कार्यान्वयन में लगातार प्रगति कर रहे हैं तथा आंकड़ों में सुधार के लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। इसके लिए हर पत्र हिंदी में जारी करने का प्रयास किया जा रहा है वहीं हमारे यहाँ हिंदी के प्रचार-प्रसार पर करोड़ों की राशि खर्च की गयी है। मंत्रालय की जल्द ही 'कंठस्थ' पर एक कार्यशाला आयोजित किये जाने की योजना है। मंत्रालय में बंद हो चुकी पत्रिका को पुनः ई-पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। उन्होंने अवगत कराया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गयी है तथा उसमें एक शब्दकोश भी बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रतिनिधि ने वेबसाइट के संबंध में अवगत कराया कि यह द्विभाषी है तथा इसमें जो भी कमियां हैं उन्हें दूर कर लिया जायेगा।

6.46 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता भी बहुत कम है जब कि शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। संगठन चार्ट, 'निविदा' 'सूचना का अधिकार' लिंक में 'सीपीआईओ' के अधिकारियों की सूची की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा उसकी बैठक भी संपन्न हो चुकी है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले आंकड़ों में सुधार हुआ है तथा इसे आगे भी जारी रखा जायेगा। उन्होंने बताया कि उनके मंत्रालय के सरकारी कामकाज में टिप्पण हिंदी में करने के लिए कार्मिकों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होने कहा कि मंत्रालय की वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में खुलती है तथा उसमें जो भी कमियां हैं उन्हें शीघ्र ही दूर कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने 'कंठस्थ' की कार्यशाला भी आयोजित की है साथ ही 'पर्यावरण' पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है।

6.47 प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता भी कम है जब कि शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त है। विभाग की वेबसाइट पर 'निविदा' एवं 'भर्ती' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना हिंदी में नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि आंकड़ों में सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं तथा इसे आगे भी जारी रखा जायेगा। उन्होने कहा कि मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी करने के लिए काम किया जा रहा है तथा उसमें जो भी कमियां हैं उन्हें शीघ्र ही दूर कर लिया जायेगा।

6.48 पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार की स्थिति बेहतर है तथा 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। हिंदी में कार्य करने वाले टंककों की संख्या शून्य है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है तथा उसकी बैठक भी संपन्न करा ली गयी है। विभाग की वेबसाइट के कुछ टैब्स हिंदी में नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में कहा कि हमारे आंकड़े अच्छे हैं तथा इन्हें आगे भी जारी रखते हुए और बेहतर किया जायेगा। उन्होने कहा कि मंत्रालय की वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में खुलती है तथा उसमें अभी जो भी कमियां दिख रही हैं उन्हें शीघ्र ही दूर कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि उनके विभाग की नियमावली, परिपत्र, पुस्तिका इत्यादि का भी द्विभाषीकरण कर लिया गया है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक कर ली गयी है।

अनिल कुमार

6.49 पोत परिवहन मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि मंत्रालय में हिंदी जानने वाले कार्मिकों की प्रतिशतता 90 है। मंत्रालय की वेबसाइट के कुछ टैब्स में सूचना हिंदी में नहीं है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है तथा बैठक आयोजित की जा चुकी है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके मंत्रालय में पत्राचार काफी कम है तथा इसे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं भी चलाई जा रही हैं वहीं टिप्पण के लिए भी योजना चलाई जा रही है । उन्होंने बताया कि मंत्रालय की वेबसाइट को द्विभाषी बनाया जा रहा है। उनके यहाँ समिति की बैठक हो चुकी है तथा एक ई-पुस्तकालय भी खोला गया है जो पूर्णतः हिंदी में है। मंत्रालय के अधीन आने वाले विभागों को उनकी रिपोर्टों के आधार पर शील्ड देकर प्रोत्साहित किया जाता है जो हिंदी सलाहकार समिति की बैठकों के दौरान दिया जाता है। उनके यहाँ कंठस्थ की कार्यशाला भी आयोजित की गयी है। उन्होंने बताया कि तकनीकी कार्य होने के कारण समस्या आती है तथा उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ।

6.50 गृह मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता लक्ष्य से काफी कम है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के कुछ टैब्स में प्रदान की गयी सूचना हिंदी में नहीं है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है लेकिन समिति की दूसरी अपेक्षित बैठक आयोजित नहीं कराई गयी है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में बताया कि मंत्रालय में हम शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं तथा फाइलें भी हिंदी में ही भेजी जाती हैं साथ ही वार्तालाप भी हिंदी में ही किया जाता है। पत्राचार के आंकड़ों को सुधारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और यह हर तिमाही में 2 से 3 प्रतिशत बढ़ भी रहा है। उन्होंने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति की पूर्व में आयोजित की गयी बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपाल किया जा रहा है जिनमें हमने 20 साल से लंबित मामले निपटाए हैं अतः अगली बैठक में समय लग रहा है। 'कंठस्थ' पर कार्यशाला आयोजित की गई है तथा इस पर कार्य करने के साथ फीडबैक भी लिया जाता है। उन्होंने सूचित किया कि वेबसाइट अधिकतम द्विभाषी है लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया है तथा एनआईसी के साथ बैठक कर इसे सुधारा जा रहा है।

6.51 भारत निर्वाचन आयोग

आयोग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है तथा विगत वर्ष से इसमें कमी आई है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की प्रतिशतता लक्ष्य से काफी कम है। हालांकि, सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। आयोग में हिंदी सलाहकार समिति के गठन का कोई प्रावधान नहीं है। आयोग की वेबसाइट के कुछ टैब्स में दी गई सूचना हिंदी में नहीं है। 'सूचना का अधिकार' 'भर्ती' एवं 'नागरिक चार्टर' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में सूचित किया कि चुनावों के दौरान भेजे जाने वाले पत्रों का उत्तर स्थानिक भाषा में हो जाता है जिसकी वजह से प्रतिशतता नहीं बढ़ पा रही है। आंकड़ों में वृद्धि के लिए पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने अवगत कराया कि कंठस्थ की कार्यशाला आयोजित करवाई गयी है तथा पुनः एक कार्यशाला करवाए जाने की योजना है। वेबसाइट को पूर्णतः द्विभाषी करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है तथा सामग्री भी द्विभाषी रूप में जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड करवा दी जाएगी। आयोग ने 'उमंग'पत्रिका का प्रकाशन किया है। उन्होंने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारियों के लिए एक 'BLO' ई-पत्रिका का प्रकाशन भी किया जा रहा है, जो द्विभाषी है।

6.52 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार की स्थिति बेहतर स्थिति में है तथा 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालांकि, सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। आयोग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा एक बैठक आयोजित की गयी है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट होम पृष्ठ, 'सूचना का अधिकार' एवं 'संगठन संरचना' की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है एवं 'भर्ती' लिंक में अनुवाद हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि आंकड़ों में सुधार लाने के पूरे प्रयास किये जा रहे हैं। उनके मंत्रालय में जारी होने वाली पुस्तिका को भी द्विभाषी कर लिया गया है तथा उनके अंतर्गत आने वाले आंगनवाडी केन्द्रों में 26 भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है। वेबसाइट के संबंध में उन्होंने बताया कि वेबसाइट के द्विभाषीकरण का कार्य भी किया जा रहा है तथा इसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने आगे सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की जा चुकी है।

6.53 युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है वहीं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का उल्लंघन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है परन्तु 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालांकि, सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है ।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि फाइलों में हिंदी में कम टिप्पण हुआ है, इसमें जल्दी ही सुधार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि बैठक में वेबसाइट के संबंध में बताई गई कमियों को दूर कर लिया जाएगा और हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के पश्चात बैठक का आयोजन किया जा चुका है। विभाग के प्रतिनिधि ने उनके विभाग में रिक्त पद संबंधी भरने हेतु आग्रह किया। संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने इसे संज्ञान में लिया।

6.54 रक्षा उत्पादन विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया । हालाँकि 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालांकि, सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है। विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि फाइलों में हिंदी में टिप्पण की कमी को जल्दी ही सुधार लिया जाएगा। विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि NIC से चर्चा करके वेबसाइट में भी सुधार करेंगे। हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन के पश्चात बैठक का आयोजन किया जा चुका है जिसमें निर्णय लिया गया है कि नोटिंग पर अधिक से अधिक हिन्दी टिप्पण करके प्रतिशतता को बढ़ाया जाएगा। विभाग के प्रतिनिधि ने हिंदी के रिक्त पद भरने हेतु आग्रह किया जिसे संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने संज्ञान में लिया।

6.55 रक्षा मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया

गया है। यद्यपि, सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। 'कंठस्थ' के प्रशिक्षण के लिए कार्मिकों को नामित नहीं किया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई कतिपय सामग्री केवल अंग्रेजी में है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके मंत्रालय में सभी जगह हिंदी में संतोषजनक काम हो रहा है। डीआरडीओ में भी बहुत अधिक काम हिंदी में किया जाता है। उन्होंने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया जा चुका है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि चूँकि उनके मंत्रालय का अधिकतर कार्य गोपनीय प्रकृति का होता है इसलिए वे कंठस्थ का प्रयोग नहीं करते है इस पर संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने बताया कि वे कंठस्थ को उनके मंत्रालय के अनुरूप संशोधित करवा सकते हैं। संयुक्त सचिव महोदया, राजभाषा विभाग ने सभी को अवगत कराया कि यदि कोई मंत्रालय/विभाग कंठस्थ संबंधी कोई प्रशिक्षण चाहता है तो हमारी राजभाषा कंठस्थ की टीम उनको प्रशिक्षण देने के लिए हर समय तत्पर है ।

6.56 रेल मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालांकि पत्राचार का प्रतिशत लक्ष्य के करीब है। मंत्रालय द्वारा 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार तथा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट पर कुछ टैब्स हिंदी में उपलब्ध नहीं हैं। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा इसकी अंतिम बैठक दिसंबर, 2022 में आयोजित की गयी थी।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वेबसाइट पर भर्ती, नागरिक चार्टर, अन्य लिंक हिंदी में अपलोड किए जा चुके हैं तथा अन्य कार्यों को जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। सलाहकार समिति के संबंध में प्रतिनिधि ने बताया कि बैठक की फ़ाइल अभी मंत्री जी के पास है तथा उनसे अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात जल्दी ही बैठक का आयोजन किया जाएगा।

6.57 रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। यद्यपि, लगभग शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा सलाहकार समिति की बैठक मई, 2023 में आयोजित की गई है । विभाग की वेबसाइट की समीक्षा में

अनिल कुमार

पाया गया कि 'संगठन संरचना' 'निविदा' 'सूचना का अधिकार' एवं 'भर्ती' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हिंदी पत्राचार की स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। वेबसाइट के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके विभाग की वेबसाइट नई बनाई गयी है तथा उसके द्विभाषीकरण का कार्य चल रहा है जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। संयुक्त सचिव महोदया ने हिंदी पत्राचार संबंधी आंकड़ों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें असंतोषजनक बताया तथा भविष्य में उसमें अपेक्षित सुधार लाने के निदेश दिए।

6.58 राजस्व विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक मार्च 2023 में आयोजित की गई है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट में 'निविदाएं' एवं 'कौन क्या है' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हिंदी पत्राचार की स्थिति में सुधार लाने के लिए बैठकों में चर्चा की जाती है तथा आवश्यक कदम उठाने के निदेश दिए जा रहे हैं। प्रतिनिधि ने आश्वासन दिया कि अगले वर्ष से आंकड़ों में अपेक्षित सुधार परिलक्षित होंगे। वेबसाइट के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके विभाग की वेबसाइट पर अभी भी कार्य किया जा रहा है तथा उसकी कमियों को 1-2 महीनों में दूर कर लिया जाएगा।

6.59 लोक उद्यम विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। विभाग के लगभग 97 प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। विभाग की वेबसाइट में 'निविदा' 'भर्ती' एवं 'नागरिक चार्टर' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है।

अनिल कुमार

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार में वृद्धि करने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं तथा किये गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम भविष्य में दिखने लगेगा। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक मार्च 2023 में आयोजित की गई है। वेबसाइट के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि उनके विभाग की वेबसाइट को अपडेट किया जा रहा है तथा उसकी कमियों की समीक्षा करने के पश्चात उन्हें जल्द ही दूर कर लिया जायेगा। सलाहकार समिति के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि बैठक की फ़ाइल अभी मंत्री जी के पास है तथा उनसे अनुमोदन प्राप्त होते ही बैठक का आयोजन कर लिया जाएगा।

6.60 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

विभाग से कोई भी प्रतिनिधि बैठक में शामिल नहीं हो सके जिसके कारण उनकी रिपोर्ट की समीक्षा नहीं की जा सकी।

6.61 व्यय विभाग

विभाग द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जबकि विभाग के शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है। विभाग की वेबसाइट के कतिपय टैब्स हिंदी में नहीं हैं।

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है और समिति की एक बैठक मार्च 2023 में आयोजित की गई है साथ ही दूसरी बैठक का आयोजन भी जल्दी ही कर लिया जायेगा। वेबसाइट के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उनके विभाग की वेबसाइट को द्विभाषी करने पर भी कार्य किया जा रहा है और शीघ्र ही इसमें सुधार कर लिया जायेगा।

6.62 वाणिज्य विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया है लेकिन बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के 'कौन क्या है' व 'सूचना का अधिकार' की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने अपने विभाग की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और बताया कि हिंदी के पत्राचार का प्रतिशत बढ़ाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। हिंदी सलाहकार समिति की फाइल माननीय मंत्री जी के पास है वहां से अनुमोदन प्राप्त होते ही बैठक कर ली जाएगी। वेबसाइट के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उनके विभाग की वेबसाइट को द्विभाषी करने की कार्रवाई की जा रही है।

6.63 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे विभाग में अभी हिंदी कार्मिकों की कमी है इसलिए हम रिपोर्टें ऑनलाइन अपलोड नहीं कर पाते हैं। भविष्य में सभी रिपोर्ट समय से अपलोड की जाएगी। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक जुलाई, 2023 में की गयी है तथा आगामी बैठक भी जल्दी ही कर ली जाएगी। वेबसाइट के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि उनके विभाग की वेबसाइट द्विभाषी है तथा इसकी अन्य कमियों में शीघ्र ही सुधार कर लिया जायेगा।

6.64 वित्तीय सेवाएं विभाग

विभाग की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया गया है वहीं राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन नहीं किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालांकि विभाग लक्ष्य प्राप्ति के नजदीक है। 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है और शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है तथा बैठक का आयोजन मार्च, 2023 में किया गया है। विभाग की वेबसाइट के कुछ टैब्स का लिंक हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि विभाग के अनुसार नियम 5 का अनुपालन किया जा रहा है इसकी रिपोर्टिंग में जो भी समस्या है उसे दूर कर लिया जायेगा वहीं प्रतिशतता को और बढ़ाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं तथा उसके सकारात्मक परिणाम भी परिलक्षित हो रहे हैं। उन्होंने सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की फाइल माननीय मंत्री जी के पास है तथा वहां से अनुमोदन के पश्चात बैठक कर ली जाएगी। वेबसाइट के संबंध में विभाग के प्रतिनिधि ने अवगत कराया कि समिति की बैठक में भी वेबसाइट को बाई-डिफाल्ट हिंदी में खोलने पर चर्चा की गयी तथा उसके अनुपालन में नई वेबसाइट बनाई जा रही है और इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जायेगा।

अनिल कुमार

6.65 विद्युत मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक अगस्त, 2023 में आयोजित की गई है। मंत्रालय की वेबसाइट के कुछ टैब्स जैसे 'निविदा' एवं 'सूचना का अधिकार' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हमारे मंत्रालय में अधिकतर प्रशासनिक एवं सामान्य कार्य हिंदी में ही किया जाता है एवं हमारे मंत्रालय में तकनीकी कार्य अधिक होने के कारण अधिकतर कार्य अंग्रेजी में ही किया जाता है जिसके कारण हमारा हिंदी पत्राचार कम है हालांकि इसमें सुधार किया जा रहा है। मंत्रालय प्रतिनिधि ने यह भी सूचित किया कि हमारे मंत्रालय में सभी फाइलें ई-ऑफिस के माध्यम से ही संचालित की जाती है और इसलिए अधिकतर टिप्पण अंग्रेजी में की जाती है। कंठस्थ से प्रयोग के पश्चात भविष्य में हमारे मंत्रालय की हिंदी पत्राचार की स्थिति में सुधार होगा। प्रतिनिधि ने यह भी सूचित किया कि हमारे विभाग में नए टंकक एवं आशुलिपिक भर्ती हुए है अभी उनका प्रशिक्षण चल रहा है। प्रतिनिधि ने यह भी आश्वासन दिया कि आगामी बैठक में हमारा प्रतिशत बेहतर होगा। मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपेक्षित सुधार किये जाएंगे। मंत्रालय प्रतिनिधि ने राजभाषा विभाग को उनकी कमियों के बारें में बताने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन का आश्वासन भी दिया।

6.66 विदेश मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण के लिए निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है। विगत वर्ष की तुलना में हिंदी पत्राचार एवं टिप्पण में काफी सुधार हुआ है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हुआ है। मंत्रालय की वेबसाइट के कुछ टैब्स जैसे 'निविदा' एवं 'नागरिक चार्टर' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। 'भर्ती' एवं 'विज़न मिशन' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि ने सूचित किया कि विदेश मंत्रालय में कार्य प्रकृति भिन्न होने के कारण पत्राचार में कमी है। दूतावासों के साथ भी पत्राचार किया जाता है, इस कारण भी हिंदी पत्राचार में कमी है। प्रतिनिधि ने बताया कि वर्ष 2022-23 के आंकडे में काफी प्रगति देखने को मिली है हम इसमें और सुधार करने का प्रयास करेंगे। सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में उन्होंने अवगत कराया कि समिति का गठन हो गया है तथा बैठक हेतु तिथि निर्धारित करने संबंधी फ़ाइल मंत्री जी के पास विचाराधीन है। प्रतिनिधि ने बताया कि वेबसाइट को द्विभाषी बनाने तथा उसकी कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

6.67 विधायी विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय 'क' और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार की स्थिति बहुत अच्छी है और 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है जो कि सराहनीय है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण की स्थिति निर्धारित लक्ष्य के आस-पास है। हिंदी में कार्य करने वाले आशुलिपिकों एवं टंककों की प्रतिशतता में विगत वर्ष की तुलना में कमी आई है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। विभाग की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

विभाग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि आशुलिपिकों एवं टंककों की प्रतिशतता में कमी का मुख्य कारण नए लोगों की भर्ती है। प्रतिनिधि ने अपने मंत्रालय की समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और सूचित किया कि हिंदी सलाहकार समिति का गठन मई, 2023 में हो गया हैं। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की फाइल माननीय मंत्री जी के पास है वहां से अनुमोदन के पश्चात बैठक की जाएगी। वेबसाइट में संगठन, आरटीआई संबंधी दस्तावेजों को हिंदी में करवाया जा रहा है। जल्दी ही सभी दस्तावेज द्विभाषी हो जाएंगे। विभाग के प्रतिनिधि ने उनके विभाग में हिंदी के रिक्त पद भरने हेतु आग्रह किया जिसे संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग ने संज्ञान में लिया।

6.68 विधि कार्य विभाग

विभाग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। विभाग में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। विभाग की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की फाइल माननीय मंत्री जी के पास है वहां से अनुमोदन के पश्चात ही बैठक की जाएगी। विभाग के प्रतिनिधि ने हिंदी पत्राचार में शीघ्र सुधार का आश्वासन दिया। आशुलिपिक एवं टंकक की प्रतिशतता में कमी पर प्रतिनिधि ने सूचित किया कि टंककों की नई को भर्ती नहीं होती है। उन्होंने कहा कि नई वेबसाइट पर जोर-शोर से काम चल रहा है। जल्दी ही सारी वेबसाइट संबंधी सूचनाएं द्विभाषी हो जाएगी।

6.69 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

अनिल कुमार

आशुलिपिक और टंकक की प्रतिशतता शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है। मंत्रालय की वेबसाइट के कतिपय लिंक में दी गई सूचना केवल अंग्रेजी में है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि हिंदी पत्राचार बढ़ाने के लिए निरंतर बैठकें आयोजित की जा रही है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन जून, 2023 में किया गया है। मंत्रालय के प्रतिनिधि ने संयुक्त सचिव महोदया से इस बात की जानकारी मांगी कि सलाहकार समिति की साल में कम से कम कितनी बैठकें की जानी अनिवार्य है। इस पर संयुक्त सचिव महोदया ने मंत्रालय के प्रतिनिधि को अवगत कराया कि वर्ष में कम से कम 02 बैठकें आयोजित की जानी अनिवार्य है और अधिकतम आप 03-04 भी कर सकते हैं। मंत्रालय प्रतिनिधि ने कहा कि वेबसाइट संबंधी कमियों में जल्दी ही सुधार किया जाएगा और सारी वेबसाइट संबंधी सूचनाएं द्विभाषी कर ली जाएगी।

6.70 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। लेकिन 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हो गया है तथा बैठक भी हो चुकी है। मंत्रालय की वेबसाइट में 'सूचना का अधिकार', 'भर्ती', 'निविदा' एवं 'नागरिक चार्टर' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में सूचित किया कि वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में खुले इसके लिए एनआईसी के साथ बातचीत की जा रही है तथा उन्होंने शीघ्र ही वेबसाइट द्विभाषी करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनके कार्यालय में संयुक्त निदेशक का पद काफी समय से रिक्त है। उन्होंने पद जल्द से जल्द भरने का अनुरोध किया।

6.71 संघ लोक सेवा आयोग

आयोग में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार लक्ष्य की ओर अग्रसर है लेकिन निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। हालाँकि 'ग' क्षेत्र में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। आयोग द्वारा फाइलों पर हिंदी में टिप्पण लक्ष्य से कम है हालाँकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। वेबसाइट पर होम पृष्ठ 'विजन और मिशन' एवं 'संगठन चार्ट'

अनिल कुमार

लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। 'अन्य सूचनाएं' लिंक की सूचना आंशिक रूप में हिंदी में दी गई है।

आयोग के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि पिछले वर्ष की अपेक्षा आंकड़ों में सुधार हुआ है तथा पत्राचार बढ़ाने के निरंतर प्रयास जारी हैं और इस कारण से पत्राचार के प्रतिशतता में वृद्धि हुई है। वेबसाइट को द्विभाषी किया जा रहा है तथा उसमें कुछ कार्य शेष है जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जायेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि कंठस्थ के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इसका बिंदु APAR में शामिल कर लिया जाये इससे इसके प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमारे आयोग का कार्य गोपनीय प्रकृति का है अतः कंठस्थ को कुछ कस्टमाईज करके उसके प्रयोग को आयोग के लिए भी सुलभ किया जा सकता है। आयोग में हिंदी सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान नहीं है। कंठस्थ में नामांकन भेजने का आश्वासन दिया गया। आयोग में उप निदेशक (राजभाषा), सहायक निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी एवं कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद रिक्त हैं जिन्हें भरने का अनुरोध किया गया।

6.72 सूचना और प्रसारण मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है जबकि शत-प्रतिशत कार्मिकों को हिन्दी का ज्ञान है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन हुआ है जबकि बैठक का आयोजन नहीं किया गया है। वेबसाइट पर 'हमारे बारे में' 'कौन क्या है' 'निविदा' एवं'भर्ती' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि वे हिंदी में पत्राचार बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक प्रस्तावित है जिसके लिए मंत्री जी का अनुमोदन अपेक्षित है उनसे समय मिलते ही बैठक का आयोजन कर लिया जायेगा। वेबसाईट नई बनाई जा रही है तथा एनआईसी के साथ वेबसाइट को द्विभाषी बनाने का काम किया जा रहा है।

6.73 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। मंत्रालय द्वारा 'क', और 'ख' क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि 'ग' क्षेत्र में लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। फाइलों पर हिंदी में टिप्पण के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय में शत प्रतिशत कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्राप्त

अनिल कुमार

है। 'विजन और मिशन' एवं 'नागरिक चार्टर' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। 'निविदा' लिंक की सूचना आंशिक रूप से हिंदी में है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक आयोजित की जानी शेष है।

प्रतिनिधि ने अपनी टिप्पणी में बताया कि राजभाषा कार्यान्वयन एक अनवरत प्रक्रिया है तथा आंकड़ों में सुधार के लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट पर कार्य किया जा रहा है तथा इसे शीघ्र ही द्विभाषी कर लिया जायेगा। हिंदी की सलाहकार समिति गठित हो गयी है। मंत्री जी से समय मिलते ही बैठक आयोजित कर ली जाएगी।

6.74 संसदीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार की स्थिति संतोषजनक है हालाँकि निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया है वहीं 'ग' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो सराहनीय है। मंत्रालय में टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है। वेबसाइट के होम पृष्ठ के अधिकांश लिंक की सूचना हिंदी में दी गई है जो कि सराहनीय है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने बताया कि उनके यहाँ टंककों की संख्या 3 है जो कि रिपोर्ट में परिलक्षित नहीं हो रही है इसे सुधार लिया जायेगा। हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें आयोजित हो चुकी हैं। प्रतिनिधि ने कंठस्थ के लिए राजभाषा विभाग को धन्यवाद दिया तथा इस पर और कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई।

6.75 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

इस मंत्रालय से कोई भी प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित नहीं हो सका।

6.76 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

मंत्रालय की समीक्षा में पाया गया कि राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है और न ही फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है। हालांकि, सभी कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान है। मंत्रालय में टंककों की संख्या शून्य दर्शाई गई है।

अनिल कुमार

मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक अगस्त में हो चुकी है। मंत्रालय/विभाग की वेबसाइट के अधिकतर लिंक में दी गई कतिपय सामग्री केवल अंग्रेजी में है।

मंत्रालय की प्रतिनिधि ने बताया कि उनका मंत्रालय भारत सरकार के मंत्रलायों में सबसे नया मंत्रालय है इसलिए अभी भी कुछ कार्य प्रक्रिया में हैं तथा इन्हें जल्दी ही पूरा कर लिया जायेगा। मंत्रालय में टंकक नहीं हैं तथा DEO की भर्ती की जाती है। वेबसाइट के बारे में उन्होंने ने बताया कि प्रेरक सामग्री द्विभाषी बनाई गयी है जो कि ऑडियो विजुअल्स में है तथा इसे जल्द ही अपलोड करा लिया जायेगा। प्रतिनिधि ने कंठस्थ को काफी उपयोगी बताते हुए इसे अपने ISTM प्रशिक्षण केन्द्रों में भी उपलब्ध करने का अनुरोध किया तथा इसके उच्चतम कार्यान्वयन के लिए APAR में भी कंठस्थ का बिंदु शामिल करने का सुझाव दिया। प्रतिनिधि ने अवगत कराया की उनके यहाँ सलाहकार समिति की बैठक हो चुकी है तथा बैठक के कार्यवृत मंत्री जी के पास हैं तथा उन्हें जल्द ही जारी कर दिया जाएगा।

6.77 वस्त्र मंत्रालय

मंत्रालय द्वारा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। 'क', 'ख' और 'ग' तीनों क्षेत्रों में हिंदी में पत्राचार निर्धारित लक्ष्य से काफी कम है और फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य भी प्राप्त नहीं किया गया है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन किया गया है तथा बैठक भी संपन्न करा ली गयी है। मंत्रालय की वेबसाइट के कतिपय टैब्स हिंदी में नहीं हैं।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समीक्षा रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की और सूचित किया कि पत्राचार पिछले वर्ष के मुकाबले बढ़ा है। वेबसाइट पर सूचना द्विभाषी रुप से डालने के प्रयास किए जाएंगे और वेबसाइट बाई डिफाल्ट हिंदी में खुले इसके प्रयास तत्काल करेंगे। प्रतिनिधि ने कंठस्थ को काफी सराहनीय बताया तथा सूचित किया कि उनके कार्यालय से 'कंठस्थ' पोर्टल का उपयोग कर उसमें 12000 वाक्य जोड़े गए हैं।

6.78 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि स्थिति में पिछले वर्ष की अपेक्षा सुधार हुआ है वहीं 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय की वेबसाइट में 'संगठन संरचना''विजन और मिशन','कौन क्या है','निविदा' एवं

अनिल कुमार

'नागरिक चार्टर' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक भी कर ली गयी है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में दो बार हो चुकी है। उन्होंने कंठस्थ को ई-ऑफिस के साथ इंटीग्रेट करने से हिंदी की प्रतिशतता में सुधार आने की बात कही। उन्होंने सूचित किया की वेबसाइट के नवीनीकरण का कार्य चल रहा है और बताई गई कमियों को यथाशीघ्र दूर कर लिया जाएगा।

6.79 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन किया गया है। विभाग द्वारा 'क' और 'ख' क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है हालाँकि स्थिति संतोषजनक है तथा लक्ष्य की ओर अग्रसर है, वहीं 'ग' क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया गया है जो कि सराहनीय है। मंत्रालय में फाइलों पर हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है। मंत्रालय की वेबसाइट में कुछ टैब्स जैसे 'संगठन संरचना' 'सिटिजन चार्टर' 'भर्ती' एवं 'सूचना का अधिकार' लिंक की सूचना हिंदी में उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति का गठन हो गया है तथा बैठक भी जुलाई में आयोजित हो चुकी है।

मंत्रालय के प्रतिनिधि ने समीक्षा रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देते हुए सूचित किया कि पत्राचार बढ़ाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है तथा जल्द ही इसमें और सुधार देखने को मिलेगा। वेबसाइट के संबंध में उन्होंने अवगत कराया कि वेबसाइट को द्विभाषी करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा इसे जल्दी ही संपन्न करा लिया जायेगा।

****

अनिल कुमार

अनुलग्नक - 'क'

दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 को पूर्वाह्न 10:30 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45वीं बैठक के प्रथम चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	अंतरिक्ष विभाग
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
3.	आयुष मंत्रालय
4.	आर्थिक कार्य विभाग
5.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
6.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7.	इस्पात मंत्रालय
8.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
9.	उपभोक्ता मामले विभाग
10.	उर्वरक विभाग
11.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
12.	औषध विभाग
13.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
14.	कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
15.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
16.	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
17.	कोयला मंत्रालय
18.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
19.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
20.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)
21.	खान मंत्रालय
22.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
23.	भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का कार्यालय
24.	जनजातीय कार्य मंत्रालय
25.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
26.	डाक विभाग

अनिल कुमार

दिनांक 17 अक्टूबर, 2023 को पूर्वाह्न 10:30 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45वीं बैठक के द्वितीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची

1.	पशुपालन और डेयरी विभाग
2.	दूर संचार विभाग
3.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
4.	न्याय विभाग
5.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
6.	नागर विमानन मंत्रालय
7.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
8.	नीति आयोग
9.	पंचायती राज मंत्रालय
10.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
11.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
12.	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
13.	परमाणु ऊर्जा विभाग
14.	पर्यटन मंत्रालय
15.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
16.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
17.	पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग
18.	पोत परिवहन मंत्रालय
19.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग
20.	भूमि संसाधन विभाग
21.	गृह मंत्रालय
22.	भारत निर्वाचन आयोग
23.	भारी उद्योग मंत्रालय
24.	मंत्रिमंडल सचिवालय
25.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
26.	संस्कृति मंत्रालय

दिनांक 18 अक्टूबर, 2023 को पूर्वाह्न 10:30 - 1:00 बजे आयोजित होने वाली केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45 वीं बैठक के तृतीय चरण में भाग लेने वाले भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की सूची	
1.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
2.	रक्षा उत्पादन एवं पूर्ति विभाग
3.	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग
4.	रेल मंत्रालय
5.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
6.	राजस्व विभाग
7.	लोक उद्यम विभाग
8.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
9.	व्यय विभाग
10.	वाणिज्य विभाग
11.	विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग
12.	वित्तीय सेवाएं विभाग
13.	विद्युत मंत्रालय
14.	विदेश मंत्रालय
15.	विधायी विभाग
16.	विधि कार्य विभाग
17.	श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
18.	सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
19.	संघ लोक सेवा आयोग
20.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
21.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
22.	संसदीय कार्य मंत्रालय
23.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
24.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
25.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
26.	वस्त्र मंत्रालय
27.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अनिल कुमार

अनुलग्नक 'ख'

दिनांक 16 से 18 अक्टूबर 22023 के दौरान आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45वीं बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम	उपस्थिति अधिकारी का नाम तथा पदनाम
1.	अंतरिक्ष विभाग	श्री हरिकृष्णन जी., विशेष कार्य अधिकारी श्री सोनू जैन, उप निदेशक (रा.भा.) डॉ. शंकर कुमार, संयुक्त निदेशक (रा.भा.)
2.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	सुश्री ऋचा शंकर, संयुक्त सचिव सुश्री पूर्णिमा राव, उप निदेशक (रा.भा.)
3.	आयुष मंत्रालय	श्री सत्यजीत पाल, उप महानिदेशक सुश्री पूर्णिमा बोस, सहायक निदेशक
4.	आर्थिक कार्य विभाग	सुश्री अपर्णा भाटिया, आर्थिक सलाहकार श्री आनंद कुमार (सलाहकार एवं कार्यकारी निदेशक) डॉ. पूरन सिंह, उप निदेशक(रा.भा.)
5.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सुश्री संजीला यादव, सहायक निदेशक
6.	इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सुश्री रचना नेमा, सहायक निदेशक (रा.भा) श्री गौरव खन्ना, डिप्टी मैनेजर
7.	इस्पात मंत्रालय	सुश्री आस्था जैन, उप निदेशक(रा.भा.)
8.	उच्चतर शिक्षा विभाग (शिक्षा मंत्रालय)	श्री जगदीश राम पौरी, संयुक्त निदेशक (रा.भा)
9.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय	सुश्री अनुराधा चगती, संयुक्त सचिव श्री जितेन्द्र कुमार आर्य, उप निदेशक(रा.भा.) श्री रवीन्द्र गुप्ता, सहायक निदेशक(रा.भा.)

अनिल कुमार

10.	उपभोक्ता मामले विभाग	श्री के. गूईते, आर्थिक सलाहकार श्री अमन जैन, निदेशक(रा.भा.) श्री सचिन, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
11.	उर्वरक विभाग	सुश्री अपर्णा शर्मा, संयुक्त सचिव श्री देवी प्रसाद मिश्र
12.	उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	श्री अंशुमौलि कुमार, उप सचिव(रा.भा.)
13.	औषध विभाग	सुश्री मंजुला सक्सेना, निदेशक सुश्री किरन चौहान, उप निदेशक(रा.भा.)
14.	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग	श्री के.के. गूईते, निदेशक
15.	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	श्री अमित प्रकाश, निदेशक(रा.भा.) श्री दिनेश चन्द्र तिवारी, सहायक निदेशक (रा.भा)
16.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	श्री मु. अरशद हुसैन, उप निदेशक(रा.भा.) श्री रणबीर सिंह, सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री सुनील तंवर, अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
17.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग	सुश्री डी.एस. नागलक्ष्मी, उप सचिव श्री जग मोहन सिंह नेगी, उप निदेशक(रा.भा.)
18.	कोयला मंत्रालय	श्री वि.वि.पति, संयुक्त सचिव श्री मनोज कुमार सिन्हा, उप निदेशक(रा.भा.)
19.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	श्री राजेंद्र कुमार, संयुक्त सचिव श्री आलोक कुमार, सहायक निदेशक(रा.भा.)
20.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	श्री अजय कुमार, उप सचिव

		श्रीमती देबोश्री दास, व. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
21.	खान मंत्रालय	श्री आलोक कुमार, उप सचिव सुश्री बंदना एम. तिर्की, सहायक निदेशक(रा.भा.)
22.	ग्रामीण विकास विभाग	श्री रामचन्द्र, उप सचिव (प्रशा.) सुश्री पुष्पलता, उप निदेशक(रा.भा.)
23.	भारत के नियंत्रक- महालेखापरीक्षक का कार्यालय	श्री भवानी शंकर, महानिदेशक सुश्री मीनाक्षी, (स.प्र.अ.)
24.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	श्री वृजनन्दन प्रसाद श्री वेद प्रकाश मीना, सहायक निदेशक (रा.भा)
25.	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	श्री आर. सतीश श्री विजय सिंह मीना, निदेशक
26.	डाक विभाग	श्री एम.यु. अब्दाली, डीडीजी सुश्री सुनीता सिंह, उप निदेशक (रा.भा)
27.	दूरसंचार विभाग	श्री बालचन्द्र अय्यर, उप महा निदेशक(सामान्य एवं प्रशासन) श्री कमल स्वरूप, सहायक निदेशक(रा.भा.)
28.	दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	श्री किशोर बा. सुखाड़े, उप महानिदेशक श्री राजेश कुमार मीना, व. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.) सुश्री एम. पदमा, व. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
29.	न्याय विभाग	श्री रमेश चन्द आहूजा, उप सचिव (प्रशा.) श्री मुरारी लाल गुप्त, परामर्शदाता(रा.भा.)

30.	नवीन और नवीकरणीण ऊर्जा मंत्रालय	डॉ. अरूण कुमार त्रिपाठी, वैज्ञानिक 'जी'/सलाहकार श्री परमानन्द, सहायक निदेशक(रा.भा.)
31.	वस्त्र मंत्रालय	श्री रवि शंकर शुक्ला, निदेशक सुश्री अंशु गुप्ता, सहायक निदेशक(रा.भा.)
32.	नागर विमानन मंत्रालय	सुश्री नीहारिका सिंह, निदेशक श्री पीयूष श्रीवास्तव, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
33.	निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग	डॉ. शैलेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव सुश्री रेखा रानी मुर्मू, सहायक निदेशक(रा.भा.)
34.	नीति आयोग	डॉ. आशीष पंडा, उप सचिव श्री सूरज प्रकाश बडगूजर, परामर्शदाता(रा.भा.)
35.	पंचायती राज मंत्रालय	डॉ. विजय कुमार बेहरा, आर्थिक सलाहकार श्री/सुश्री चन्द्रा सिंह, उप निदेशक(रा.भा.)
36.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	श्री रोहित माथुर सुश्री शोभना श्रीवास्तव, उप निदेशक(रा.भा.)
37.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	श्री केशव कुमार, निदेशक सुश्री विमला दहिया, सहायक निदेशक(रा.भा.)
38.	पेयजल और स्वच्छता विभाग	डॉ. कमल कांत नाथ, डी.डी.जी. श्री सुधीर कुमार सिन्हा, अवर सचिव श्री दीपक डागर, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
39.	परमाणु ऊर्जा विभाग	श्री अचलेश्वर सिंह, संयुक्त निदेशक(रा.भा.)
40.	पर्यटन मंत्रालय	श्री ज्ञान भूषण

		श्री मनोज कुमार दुबे, सहायक निदेशक(रा.भा.)
41.	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	सुश्री उर्मिला हरित, निदेशक (रा.भा)
42.	प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	सुश्री सरोज गिरि, सहायक निदेशक(रा.भा.)
43.	पेंशन और पेंशनभागी कल्याण विभाग	श्री रमेश चन्द्र सेठी, उप सचिव सुश्री मंजु गुप्ता, सहायक निदेशक(रा.भा.)
44.	पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग	श्री गिरजा नन्द सिंह, संयुक्त सचिव सुश्री स्वाति मेल्टी, सहायक निदेशक श्री नसीम अहमद, व. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
45.	पोत परिवहन मंत्रालय	सुश्री संगीता तोपनो, सहायक निदेशक श्री राकेश कुमार, व. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
46.	बायोटेक्नोलॉजी विभाग	श्री चैतन्य मूर्ति, संयुक्त सचिव (प्रशा.) श्री निखिल अरोड़ा, सहायक निदेशक(रा.भा.)
47.	भूमि संसाधन विभाग	श्री पी.के. अब्दुल करीम, आर्थिक सलाहकार श्री महेन्द्र कुमार,परामर्शदाता(रा.भा.)
48.	गृह मंत्रालय	श्री राकेश कुमार, सलाहकार श्री नानक चन्द, सहायक निदेशक(रा.भा.)
49.	भारत निर्वाचन आयोग	श्री आनन्द कुमार पाठक, सचिव श्री प्रशांत कुमार, सहायक निदेशक(रा.भा.)
50.	भारी उद्योग मंत्रालय	श्री विजय मित्तल, संयुक्त सचिव श्री कुमार राधारमण,सहायक निदेशक(रा.भा.)
51.	मंत्रिमंडल सचिवालय	श्री सर्वेश आर्य, निदेशक

अनिल कुमार

		श्री सतीश कुमार गुप्ता, उप निदेशक (रा.भा)
52.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	श्री सुखलाल मीना, उप सचिव श्री सत्यमूर्ति नागेश, परामर्शदाता(रा.भा.)
53.	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	सुश्री वनिता सूद, निदेशक श्री फूल कंवर, उप निदेशक(रा.भा.)
54.	रक्षा उत्पादन विभाग	श्री मनोज कुमार चौधरी, सहायक निदेशक(रा.भा.)
55.	रक्षा मंत्रालय रक्षा विभाग	सुश्री दिपाली प्र. चव्हाण, निदेशक श्री नरेन्द्र नाथ त्रिपाठी, सहायक निदेशक(रा.भा.)
56.	रेल मंत्रालय	श्री सुधीर कुमार, कार्यपालक निदेशक (श्र.का) स्थापना डॉ. वरूण कुमार, निदेशक(रा.भा.) सुश्री सरिता दत्ता, उप निदेशक(रा.भा.)
57.	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	श्री राकेश कुमार, उप निदेशक(रा.भा.) श्री सुनील कुमार, व. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
58.	राजस्व विभाग	श्री ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव सुश्री सरिता कुंवर, उप निदेशक(रा.भा.)
59.	लोक उद्यम विभाग	सुश्री अर्चना रांगड़ा, उप निदेशक(रा.भा.) श्री राजबीर, व. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
60.	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	
61.	व्यय विभाग	श्री बिमल कुमार, निदेशक श्री राजेश्वर कुमार, उप निदेशक(रा.भा.)

अनिल कुमार

62.	वाणिज्य विभाग	श्री विनोद कुमार सिंह, निदेशक
63.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	श्री ए.धनलक्ष्मी श्री कामाख्या नारायण सिंह, सहायक निदेशक
64.	वित्तीय सेवाएं विभाग	श्री अभिजित फुक्न, सलाहकार श्री रत्नेश कुमार, व. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
65.	विद्युत मंत्रालय	श्री नरेन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता श्री अनिल कुमार, सहायक निदेशक(रा.भा.)
66.	विदेश मंत्रालय	श्री गनेश हलोई, निदेशक (हिंदी प्रभाग) श्री मोहन लाल मीणा, सहायक निदेशक(रा.भा.) श्री रवि कांत, सहायक निदेशक(रा.भा.)
67.	विधायी विभाग	डॉ. ब्रजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव सुश्री मोनिका गौतम, क. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
68.	विधि कार्य विभाग	श्री शमशेर सिंह, सहायक निदेशक(रा.भा.)
69.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	श्री नागेश कुमार सिंह, उप महानिदेशक श्री निकोलस खलखो, उप निदेशक (रा.भा)
70.	सूक्ष्म, लधु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	श्री पी. पलानिवेल, उप महानिदेशक श्री दीपक नारंग, उप सचिव सुश्री कल्पना सिंह, व. अनुवाद अधिकारी (रा.भा.)
71.	संघ लोक सेवा आयोग	श्री मुकेश लाल, संयुक्त सचिव (प्रशा.) श्री तरूणा जंगपांगी, निदेशक(रा.भा.)
72.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	डॉ. अश्वनी कुमार, आर्थिक सलाहकार

अनिल कुमार

		श्री इफ्तेखार अहमद, उप निदेशक(रा.भा)
73.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	श्री राजेश चौधरी, उप सचिव श्री नरेश रजक, व. अनुवाद अधिकारी(रा.भा.)
74.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	श्री परमानन्द आर्य, निदेशक(रा.भा.)
75.	संस्कृति मंत्रालय	सुश्री संजुक्ता मुग्दल, संयुक्त सचिव श्री शिशिर शर्मा
76.	संसदीय कार्य मंत्रालय	श्री राजेश कुमार सिंह, अ.स. श्री विरेन्द्र कुमार, सहायक निदेशक(रा.भा.)
77.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	श्री आशीष कुमार गुप्ता, निदेशक श्री संजय सिंह, उप निदेशक(रा.भा.)
78.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	
79.	कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	सुश्री सुपर्णा एस. पचौरी, संयुक्त सचिव श्री सुखबीर सिंह, सहायक निदेशक(रा.भा.)

अनुलग्नक 'ग'

दिनांक 16 से 18 अक्टूबर, 2023 के दौरान आयोजित केन्द्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 45वीं बैठक में राजभाषा विभाग से उपस्थित अधिकारियों की सूची

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	डॉ. मीनाक्षी जौली	संयुक्त सचिव
2.	श्री अनिल कुमार	उप सचिव (का.)
3.	सुश्री अभिलाषा मिश्रा	उप निदेशक (का-2)
4.	श्री राजेश श्रीवास्तव	उप निदेशक (तकनीकी)
5.	श्री संतोष कुमार	अनुसंधान अधिकारी (का-2)
6.	श्री रवि प्रकाश गोस्वामी	वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी (का-2)
7.	श्री नितिन कुमार	कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी (का-2)
8.	श्री दीपक कुमार	निरीक्षक (तकनीकी)
9.	श्री केवल कृष्ण	वरिष्ठ तकनीकी सलाहकार (एनआईसी)

****